प0 सं0–14 / डी0एल0ए0 (एन0पी0जी0सी0)–औरंगाबाद–191 / 2013–.....2849.. / रा0,पटना–15, दिनांक–10/12/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय
बिहार ,पटना

अधिसूचना

तारीख.../.../2013

सं0...आर0

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता हैं कि गाँव – सल्या थाना नं0 – **49**, परगाना– कुटुम्बा, थाना– नबीनगर, जिला– औरंगाबाद मे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता हैं कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव– सल्या के भीतर भूमि का एक टूकड़ा अपेक्षित हैं, जो मानक माप के कम वेश, जो 1.000 एकड़ के बराबर होता हैं और जिसकी अधिकृत खेसरा सं0 एवं चौहद्दी निम्न प्रकार हैं :–

अधिकृत खेसरा सं0 –

अंश – 434, 459, 474, 478, 479 एवं 480

उतर :– ग्राम बेलौटी, थाना नं0– 33

पूरब :– (रेलवे लाईन)

दक्षिण :– ग्राम–परसा, थाना नं0– 46 एवं ग्राम– पथरा थाना नं0– 45

पश्चिम :– 201, 202, 203, 204, 468, 479 एवं 480

यह अधिसूचना अधिनियम 1894 कि धारा 4 के उपबंधो के अधीन (यथा भू–अर्जन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती हैं जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता हैं। समाहर्ता, औरंगाबाद भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना के संबंध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे नवीनगर जेनरेटिंग पावर कारपोरेशन लि0 पटना के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उनका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम को धारा 17 (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने परियोजना की शीधता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A (2) के उपबंध लागू नही होंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0 / –
सरकार के अवर सचिव।

समाहर्ता
औरंगाबाद।
कृ0पृ0उ0

ज्ञा0 सं0–14/डी0एल0ए0 (एन0पी0जी0सी0)–औरंगाबाद–191/2013– 2849/रा0,पटना–15, दिनांक–10/12/2013

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिघोषणा की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, औरंगाबाद को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

9/12/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।